न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी नेहा राठी आर०ए०एस

मुकदमा नं० 59/2025

सुरेन्द्रसिंह पुत्र जेतसिंह जाति राजपूत निवासी चिरनोटिया, मुरलीपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान। ....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0
2. नारायणसिंह शेखावत पुत्र मुकनसिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी हाउस नं0 591, सेक्टर–7बी, फरीदाबाद हरियाणा। अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामसिंह वकील प्रार्थी

2. अप्रार्थी संख्या 02 स्वयं उपस्थित

3. सरकार पैरोकार

निर्णय दिनांक :– 31/10/2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खाता संख्या नया 91 खाता संख्या पुराना 43 की आराजी खसरा नंबर 10 रकबा 3.2624 हैक्टेयर, खसरा नंबर 11 रकबा 0.5437 हैक्टेयर, खसरा नंबर 12 रकबा 0.9863 हैक्टेयर, खसरा नंबर 13/2 रकबा 2.3520 हैक्टेयर वाकै ग्राम चिरनोटिया, पटवार हल्का मुरलीपुरा, भू०अनि०नि० क्षेत्र हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिस पर 1/2 हिस्से में वादी तथा 1/2 हिस्से प्रतिवादी सं०2 काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। खाता संख्या 91 के आराजी खसरा नंबर 10 रकबा 3.2624 हैक्टेयर के नक्शा लट्ठे में खसरा नंबर 10 की तरमीम दर्ज है। तथा नक्शा सेटलमेन्ट में खसरा नंबर 10 में डॉट लगा हुआ है। खसरा नंबर 10 दो भागो में विभक्त है। खसरा नंबर 10 रकबा 3.2624 हैक्टेयर जिसमें बारानी–2–2.0232 व बारानी–3–1.2392 में विभक्त है। लेकिन राजस्व कर्मचारीयों द्वारा सेटलमेन्ट नक्शे के बाद नक्श लट्ठा बनाते हुये खसरा नंबर 10 में डॉट लाइन की जगह सीधी लाइन बनाकर खसरा नंबर 10 को दो भागो में विभक्त कर दिया। इसी प्रकार राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से उक्त खसरा नंबर 10 की ऑनलाइन तरमीम करते समय खसरा नंबर 10 के नक्शे से 10 को विलोपित कर दिया है। प्रार्थी ने जब जमाबंदी के साथ नक्शे की प्रति निकलवायी तो खसरा नंबर 10 का नक्शे से 10 नंबर विलोपित होकर नक्शा खसरा नंबर 10 रिक्त दर्शित हो रहा जिसकी नक्शे में तरमीम दुरूस्ती की जानी आवश्यक है। प्रार्थी के खसरा

Neha
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

नंबर 10 की तरमीम सन् 2020 तक राजस्व रिकोर्ड में दर्ज थी। उसके पश्चात राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकॉड नक्शे को कम्पयूटर में ऑनलाइन दर्ज करते समय सहवन से राजस्व रिकोर्ड नक्शे में खसरा नंबर 10 अंकित होना रह गया था। जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी ने शिविर ग्राम पंचायत हिंगोनिया में दिनांक 07.07.2025 को उक्त खसरा नंबर की तरमीम दुरुस्ती हेतू प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर शिविर प्रभारी ने न्यायालय से तरमीम दुरूस्ती का आदेश लाने को कहा है। इसलिये वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती इंद्राज पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 3.2624 हैक्टेयर वाके ग्राम चिरनोटिया पटवार हल्का मुरलीपुरा तहसील जोबनेर के ऑनलाइन राजस्व रिकॉर्ड नक्शे में खसरा नंबर 10 का अंकन दर्ज कर तरमीम दुरूस्त की जाकर इंद्राज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नक्शा दुरूस्त करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

अप्रार्थी सं0 01 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश कि आराजी खसरा नम्बरं 10 रकबा 3.2624 हेक्टेयर वाके ग्राम चिरनोटियां के नक्शा एवं रकबा दूरुस्ती हेतु ग्राम चिरनोटिया के आराजी खसरा नम्बर 1/1 रकबा 0.0253 हेक्टेयर किस्म बारानी–3, आराजी खसरा नम्बर 1/2 रकबा 1.1128 हेक्टेयर किस्म बारानी–3 एवं आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 3.2624 हेक्टेयर किस्म बारानी–2 व बारानी–3 का नक्शा हाल (हल्का पटवारी मुरलीपुरा के पास राजस्व रिकॉर्ड में उपलब्ध डिजिटाईज्ड शीट), वर्तमान में भू–नक्शा पोर्टल पर अपलोड (001 डिजिटाईज्ड) शीट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा (भू–बन्दोबस्त हाल) भू–प्रबन्ध विभाग का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। प्रश्नागत आराजी खसरान नम्बरान 1/1, 1/2 एवं 10 का उक्त शीटो पर बारी–बारी रकबा बरारी की गई। मुताबिक हल्का पटवारी मुरलीपुरा के पास राजस्व रिकॉर्ड में उपलब्ध डिजिटाईज्ड शीट में आराजी खसरा नम्बर साबिक 1 एवं 10 का रकबा बरारी करने पर वर्तमान जमाबन्दी आराजी खसरा नम्बरान 1/1 रकबा 0.0253 हेक्टेयर, 1/2 रकबा 1.1128 हेक्टेयर किता 2 कुल रकबा 1.1381 एवं 10 रकबा 3.2624 हेक्टेयर के जमाबन्दी के रकबे से लगभग सही मिलान होता है।

उपरोक्तानुसार रकबा बरारी एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा (भू–बन्दोबस्त हाल) भू–प्रबन्ध विभाग का अवलोकन किए जाने से स्पष्ट होता है कि आराजी खसरा नम्बर 10 मूल रूप से डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत तैयार डिजिटाईज्ड शीट में रकबा एवं आकृति अनुसार सही था। किन्तु भू–नक्शा पोर्टल पर अपलोड डिजिटाईज्ड शीट में आराजी खसरा नम्बर 10 की आकृति बारी बारी बदली गई है। जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में भू–नक्शा पोर्टल पर उपलब्ध डिजिटाईज्ड शीट में आराजी खसरा नम्बर 10 का नम्बर विलोपित हो गया एवं

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

आकृति में भिन्नता है अर्थात वर्तमान में भू–नक्शा पोर्टल पर उपलब्ध शीट में आराजी खसरा नम्बर 10 का नम्बर अंकित नहीं है एवं खसरा के मध्य में भी उत्तरी भाग की तरफ एक पुख्ता लाइन (जो भू–प्रबन्ध विभाग में डॉटेड लाइन थी) खींच दी गई है। मुताबिक नक्शा (भू–बन्दोबस्त हाल) भू–प्रबन्ध विभाग एवं हल्का पटवारी के पास राजस्व रिकॉर्ड में उपलब्ध डिजिटाईज्ड शीट के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 10 भू–नक्शा पोर्टल पर उपलब्ध डिजिटाईज्ड शीट में पुनः शुद्ध/दुरूस्त किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। हमने बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 10 मूल रूप से डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत तैयार डिजिटाईज्ड शीट में रकबा एवं आकृति अनुसार सही था। किन्तु भू–नक्शा पोर्टल पर अपलोड डिजिटाईज्ड शीट में आराजी खसरा नम्बर 10 की आकृति बारी बारी बदली गई है। जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में भू–नक्शा पोर्टल पर उपलब्ध डिजिटाईज्ड शीट में आराजी खसरा नम्बर 10 का नम्बर विलोपित हो गया एवं आकृति में भिन्नता है अर्थात वर्तमान में भू–नक्शा पोर्टल पर उपलब्ध शीट में आराजी खसरा नम्बर 10 का नम्बर अंकित नहीं है एवं खसरे के मध्य में भी उत्तरी भाग की तरफ एक पुख्ता लाइन (जो भू–प्रबन्ध विभाग में डॉटेड लाइन थी।) खींच दी गई है। मुताबिक नक्शा (भू–बन्दोबस्त हाल) भू–प्रबन्ध विभाग एवं हल्का पटवारी के पास राजस्व रिकॉर्ड में उपलब्ध डिजिटाईज्ड शीट के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 10 भू–नक्शा पोर्टल पर उपलब्ध डिजिटाईज्ड शीट में पुनः शुद्ध/दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नंबर 10 रकबा 3.2624 हे0 वाके ग्राम चिरनोटिया पटवार हल्का मुरलीपुरा तह0 जोबनेर के ऑनलाईन राजस्व नक्शे में तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 09.10.2025 के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 09.10.2025 निर्णय के साथ जुज रहेगी। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 31/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा राठौड़ RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner